न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 78/2022

1. नरोत्तम पुत्र श्री भूराराम

जाति माली निवासी पठानों का बास, अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

– वादी

बनाम

1. श्री कृपा प्रमोटर्स प्रा. लि एफ–772 रोड नम्बर 6 वी.के.आई.ए. जरिये प्रोपराईटर राजेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री रामदेव चौधरी आयु 47 वर्ष जाति जाट निवासी –ए–132 शिवनगर मुरलीपुरा स्कीम रोड, रोड नम्बर 2, वी.के.आई.ए. जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय 10-10-2022

वादी ने घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का उक्त वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का पेश किया कि :–

1. आराजी हाल खाता संख्या 224 के हाल खसरा नम्बर 778/1 रकबा 1.54 है0 , जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम दर्ज है तथा हाल खाता संख्या 224 के हाल खसरा नम्बर 778/2 रकबा 0.11 है0, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जो वाकै ग्राम पठानों का बास, पटवार हल्का अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि के पूर्व में खसरा नम्बर 778 रकबा 1.65 है0 जो वादी के नाम दर्ज थी। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2015 को रकबा 0.11 है0 भूमि वादी से खरीद कर ली थी।
2. वाद पत्र के जिमन नम्बर 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 778 रकबा 1.65 है0 जो वादी के नाम दर्ज थी। जिसमें से प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2015 को रकबा 0.11 है0 भूमि वादी से खरीद कर ली थी। इस प्रकार इस भूमि में वादी का हिस्सा 14/15 व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/15 होकर सामलाती भूमि रही है। उक्त भूमि सामलाती होने पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने नामान्तरण संख्या 537 दिनांक 15.06.2015 विभाजन के द्वारा खसरा नम्बर 778 रकबा 1.65 है0 भूमि में आपस में बटवारा कर लिया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 778/1 रकबा 1.54 है0 वादी के नाम नामान्तरण स्वीकार हुआ व खसरा नम्बर 778/2 रकबा 0.11 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरण स्वीकार हुआ। वादी द्वारा प्रतिवादी को दिनांक

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

दिनांक 02.02.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करते समय प्रतिवादी को उक्त विक्रीत भूमि उत्तर दिशा की तरफ कजोड धन्ना की जमीन से लगती हुई बेचान की गई है। उक्त बेची गई भूमि की चौडाई सडक पर 7 फुट चौडी बेचान की गई है जिसका अंकन विक्रय पत्र में दर्ज है तथा वादी व प्रतिवादी दोनों अपने अपने हिस्से की भूमि पर खरीद समय से काबिज आबाद है। उक्त भूमि का दोनो पक्षों द्वारा विभाजन करवाने के बाद राजस्व रिकार्ड में तो सही रकबा अंकित हो गया लेकिन राजस्व कर्मचारी व पटवारी की गलती से सहवन से नक्शे में तरमीम गलत अंकित हो गया। राजस्व कर्मचारियों ने नक्शा तरमीम करते समय मौके पर कब्जेकाश्त का ध्यान नही रखा गया तथा खसरा नम्बर 778/2 रकबा 0.11 है0 भूमि को वादी की भूमि खसरा नम्बर 778/1 रकबा 1.54 है0 में मिलाकर एक जगह ही नक्शे में गलत तरमीम कर दिया गया जबकि वादी द्वारा उक्त भूमि विक्रय करते समय कजोड धन्ना के खेत से लगती हुई चौडाई सडक पर 7 फुट चौडी नक्शे में तरमीन होनी चाहिए थी। इस प्रकार उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी के कब्जेकाश्त के अनुसार दुरूस्त कर नक्शे में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

3. वादी कम पढा लिखा होने के कारण राजस्व रिकार्ड की जानकारी नही रही तथा अब आज से सप्ताह भर पूर्व प्रतिवादी ने अपनी भूमि की नाप जोख करने लगा तथा वादी की भूमि में अपनी भूमि बताने लगा और वादी को धमकी दी कि मैं नक्शे के अनुसार भूमि पर जबरन कब्जा करके रहूंगा जिस पर वादी ने उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की व नक्शे की नकल निकलाई तो वादी को जानकारी हुई कि विभाजन के समय राजस्व कर्मचारियों की गलती से नक्शे में गलत तरमीम हो गया जिस पर वादी ने प्रतिवादी को नक्शे मे सही तरमीम करवाने हेतु कई मर्तबा निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी हां करता रहा लेकिन अब उसने नक्शे में सही तरमीम करवाने के लिये मना कर दिया। जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 के पास नक्शे में सही तरमीम करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया तो प्रतिवादी संख्या 2 ने न्यायालय में आकर कार्यवाही करने के लिये कहा इस कारण वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

4. अन्त में निवेदन किया कि खसरा नम्बर 778/2 रकबा 0.11 है0 व खसरा नम्बर 778/1 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम पठानों का बास पटवार हल्का अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान में स्थित भूमि जो वादी द्वारा उक्त भूमि विक्रय करते समय कजोड धन्ना के खेत से लगती हुई चौडाई सडक पर 7 फुट चौडी व वर्तमान नक्शे में दुरूस्त कर मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पुनः नक्शे में दुरूस्त कर नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे। वर्तमान मौका स्थिति व कब्जे काश्त के अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी की कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। वकील वादी, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा पेश किया। प्रस्तुत राजीनामा में हाल आराजी खसरा नम्बर 778/1 रकबा 1.54 है0 जो वर्तमान में वादी के नाम दर्ज है। हाल आराजी खसरा नम्बर 778/2 रकबा 0.11 है0 जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। उक्त आराजी ग्राम पठानों का बास तहसील शाहपुरा में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 778 रकबा 1.65 है0 पूर्व में वादी नरोत्तम के नाम दर्ज थी जिसमे से प्रतिवादी श्री कृपा प्रमोटर्स प्रा.लि. ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2015 को रकबा 0.11 है0 भूमि वादी नरोत्तम से खरीद कर ली थी इस प्रकार इस भूमि में वादी नरोत्तम का हिस्सा 14/15 व प्रतिवादी श्री कृपा प्रमोटर्स प्रा0 लि0 का हिस्सा 1/15 होकर शामलाती भूमि रही है। उक्त भूमि शामलाती होने पर वादी नरोत्तम व प्रतिवादी श्री कृपा प्रमोटर्स प्रा. लि. ने नामान्तरण संख्या 537 दिनांक 18.06.2015 विभाजन के द्वारा खसरा नम्बर 778 रकबा 1.65 है0 भूमि मे से आपस में बटवारा कर लिया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 778/1 रकबा 1.54 है0 वादी नरोत्तम के नाम नामान्तरण स्वीकार हुआ। खसरा नम्बर 778/2 रकबा 0.11 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम नामान्तरण स्वीकार हुआ। वादी नरोत्तम द्वारा प्रतिवादी को दिनांक 02.02.2015 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करते समय प्रतिवादी श्री कृपा प्रमोटर्स प्रा0 लि0 को उक्त विक्रय भूमि उत्तर दिशा की तरफ कजोड धन्ना की जमीन से लगती हुई बेचान की गई है। उक्त बेची गई भूमि की चौडाई सडक पर 7 फुट चोडी बेचान की गई है जिसका अंकन विक्रय पत्र में भी दर्ज है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 दोनो अपने-अपने हिस्से की भूमि पर खरीद समय से ही काबिज आबाद है। उक्त भूमि का दोनो पक्षों द्वारा विभाजन कराने के बाद राजस्व रिकार्ड में तो सही रकबा अंकित हो गया लेकिन खसरा नम्बर 778/2 रकबा 0.11 है0 भूमि को वादी नरोत्तम की भूमि खसरा नम्बर 778/1 रकबा 1.54 है0 में मिलाकर एक जगह ही नक्शे में गलत तरमीम कर दिया गया जबकि वादी नरोत्तम द्वारा उक्त भूमि विक्रय करते समय कजोड, धन्ना के खेत से लगती हुई चौडाई सडक पर 7 फुट चौडी नक्शे में तरमीम होनी चाहिए थी इस प्रकार उक्त भूमि पर वादी नरोत्तम व प्रतिवादी श्री कृपा प्रमोटर्स प्रा0 लि0 के कब्जे काश्त के अनुसार दुरूस्त कर नक्शे में तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित है साथ ही निवेदन किया कि खसरा नम्बर 778/2 रकबा 0.11 है0 भूमि का 7 फुट चौडाई कर खसरा नम्बर 778/1 के पूर्वी दिशा की तरफ लम्बा हाल नक्शे में दुरूस्त कर तरमीम किया जाता है हम दोनो पक्षों को कोई आपत्ति व एतराज नही है। हम दोनों पक्षों की पूर्ण सहमति

6. पत्रावली व प्रस्तुत राजीनामे का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। वादी नरोत्तम पुत्र भूरा राम द्वारा दिनांक 02.02.2015 को श्री कृपा प्रमोटर्स प्रा. लि एफ-772 रोड नम्बर 6 वी.के.आई.ए. जरिये प्रोपराईटर राजेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री राम

सहायक कलेक्टर

चौधरी आयु 47 वर्ष जाति जाट निवासी –ए–132 शिवनगर मुरलीपुरा स्कीम रोड, रोड नम्बर 2, वी.के.आई.ए. जयपुर को हाल आराजी खसरा नम्बर 778 रकबा 1.65 है0 में से 0.11 है0 भूमि उत्तर दिशा की तरफ कजोड, धन्ना की जमीन से लगती हुई बेचान की गई है उक्त बेची गई भूमि की चौडाई सडक पर 7 फुट चौडी बेचान की गई है जिसकी राजस्व रिकार्ड में नक्शे में गलत तरमीम की गई है। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश कर आराजी खसरा नम्बर 778/2 रकबा 0.11 है0 भूमि को 7 फुट चौडाई कर खसरा नम्बर 778/1 के पूर्वी दिशा की तरफ लम्बा हाल नक्शे में दुरूस्त किया जाना जाहिर किया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया मुताबिक राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रस्तुत वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 778/2 रकबा 0.11 है0 भूमि को 7 फुट चौडाई कर खसरा नम्बर 778/1 के पूर्वी दिशा की तरफ लम्बा हाल नक्शे में दुरूस्त कर तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर को तहरीर जारी हो। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10-10-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
राजस्व वाद संख्या :– 78 / 2022

01. नरोत्तम पुत्र श्री भूराराम

जाति माली निवासी पठानों का बास, अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

– वादी

बनाम

02. श्री कृपा प्रमोटर्स प्रा. लि एफ–772 रोड नम्बर 6 वी.के.आई.ए. जरिये प्रोपराईटर राजेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री रामदेव चौधरी आयु 47 वर्ष जाति जाट निवासी –ए–132 शिवनगर मुरलीपुरा स्कीम रोड, रोड नम्बर 2, वी.के.आई.ए. जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत नक्शा तरमीम दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय 10-10-2022

अतः प्रस्तुत वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 778 / 2 रकबा 0.11 है0 भूमि को 7 फुट चौडाई कर खसरा नम्बर 778 / 1 के पूर्वी दिशा की तरफ लम्बा हाल नक्शे में दुरूस्त कर तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर को तहरीर जारी हो। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 10-10-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड		जोड	